



STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org



संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं०: SHSB/G.A/794/2013

पत्रांक सं०: 6405 दि०: 08 / 08 / 2013

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
2. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार


विषय:- राज्य के 09 प्रमण्डलों में स्थापित एवं कार्यरत सभी NBCC, SCNUs, NBSUs, NICUs, एवं प्रसव कक्ष का प्रथम अर्द्धवार्षिक अनुश्रवण दिनांक 19 अगस्त से 06 सितम्बर 2013 तक सम्पन्न कराने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

आप सभी अवगत हैं की वित्तिय वर्ष 2013-14 में राज्य अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित एवं कार्यरत NBCC, SCNUs, NBSUs, NICUs एवं प्रसव कक्षों का अनुश्रवण किया जाना है। अतः आप सभी को निदेशित है कि अपने प्रमण्डल में अनुश्रवण का कार्य दिनांक 19 अगस्त 2013 से प्रारंभ करते हुए 06 सितम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्य संपादन का दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से है:-

- क) राज्य द्वारा monitoring हेतु निर्धारित समय अवधि में ही कार्य संपादित करना अनिवार्य होगा ताकि report compilation, sharing of report तथा follow-up action ससमय किया जा सके। इसकी जवाबदेही RPMU की होगी।
- ख) Monitoring हेतु team गठन करते समय निम्न निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा-
 - i. NBCC/SCNU/NBSU monitoring हेतु प्रत्येक team (दो सदस्य) में एक राज्य स्तरीय तथा एक जिला स्तरीय monitor का होना अनिवार्य है।
 - ii. Medical Collage के NICU के अनुश्रवण तीन से चार सदस्यीय टीम का गठन कर किया जाना है। टीम में राज्य स्वास्थ्य समिति/SIHFW/ संबंधित RPMU से RDD एवं RPM तथा उक्त मेडिकल कॉलेज के NICU में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी का होना अनिवार्य है।
 - iii. State monitor के रूप में रा०स्वा०समिति के पदाधिकारी, SIHFW, Development Partener के Quality Assurance, State Officer, UNICEF- STF, RPMU से RDD, RPM, RM&E एवं कोई अन्य सदस्य जो प्रशिक्षित हो।
 - iv. District monitors के रूप में Civil surgeon, ACO, DPM, DPC एवं अस्पताल प्रबंधक (सदर अस्पताल), जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त MO/Nurse होंगे। जिले में अवस्थित development partner के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा सकता है यदि वे NBCC संचालन में प्रशिक्षित या skilled हो।
 - v. जिला स्तर के monitor यदि विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित होते हैं तो सिविल सर्जन अपने स्तर से वैसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिन्हें NBCC संचालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
 - vi. Development partener के किसी भी स्तर (State to block) के प्रतिनिधी को incentive देय नहीं होगा।
 - vii. State तथा district monitors को incentive के रूप में प्रति facility visit रू०-1000.00 दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह incentive पूर्ण रूप से अनुश्रवण format भरने एवं कार्यों का निष्पादन करने के पश्चात् ही देय होगा।





STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org



- viii. भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित NICU, SCNU, NBSU, NBCC के साथ साथ labour room का भी अनुश्रवण निर्धारित प्रपत्र में किया जाना अनिवार्य है।
- ix. यह गतिविधी पूर्णतः स्वास्थ्य संस्थानों के भौतिक सत्यापन से है तथा भ्रमण करना अनिवार्य है। भ्रमण के लिए वाहन मद मे आवंटित राशि का उपयोग करना प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तदपश्चात् यदि वाहन मद में अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो RPMU में उपलब्ध वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
- ग) अनुश्रवण हेतु निर्मित योजना की scanned copy (PDF file) में उपनिदेशक- अनुश्रवण एवं मुल्यांकन को m&ecell@statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकी उन्हें SHSB के website पर upload करवाया जा सके। **सत्य वित्त के लिए**

अनुलग्नक:- अनुश्रवण हेतु संशोधित प्रारूप।

विश्वासभाजन

07/08/2013
(संजय कुमार)





STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org



- viii. भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित NICU, SCNU, NBSU, NBCC के साथ साथ labour room का भी अनुश्रवण निर्धारित प्रपत्र में किया जाना अनिवार्य है।
- ix. यह गतिविधि पूर्णतः स्वास्थ्य संस्थानों के भौतिक सत्यापन से है तथा भ्रमण करना अनिवार्य है। भ्रमण के लिए वाहन मद में आवंटित राशि का उपयोग करना प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तदपश्चात् यदि वाहन मद में अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो RPMU में उपलब्ध वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
- ग) अनुश्रवण हेतु निर्मित योजना की scanned copy (PDF file) में उपनिदेशक- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को m&ecell@statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकी उन्हें SHSB के website पर upload करवाया जा सके।

अनुलग्नक:- अनुश्रवण हेतु संशोधित प्रारूप।

विश्वासभाजन
ह0 /-
(संजय कुमार)

ज्ञापांक- 6405

पटना, दिनांक 08/08/13

प्रतिलिपि -

1. निदेशक- SIHFW को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रशासी पदाधिकारी, सभी वरीय उपसमाहर्ता, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, उपनिदेशक / सलाहाकर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
3. उपनिदेशक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, सह.नोडल पदाधिकारी गुणवत्ता यकीन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. प्रोफेसर-सह- विभागाध्यक्ष, शिशु स्वास्थ्य - PMCH, NMCH, JLMNCH, SKMCH, & DMCH को सूचनार्थ एवं कार्य योजना के अनुरूप अनुश्रवण पूरा करने में सहयोग देने हेतु।
5. सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों को सूचनार्थ। निदेशित है कि दलों का निर्माण कर तथा DPMU/DP के coordination से ससमय कार्य संपादन सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
7. डा0 धनश्याम शेट्टी-UNICEF, डा0 पंकज मिश्रा-NIPI, डा0 अरूनाभ रे-DFID/BTAST को सूचनार्थ। निदेशित है कि जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रतिनियुक्त अपने प्रतिनिधियों को अनुश्रवण कार्य में सहयोग करने हेतु आदेशित करेंगे।

7/8/2013
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

